न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 37 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. कुलदीप पुत्र श्री भूपसिंह जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र श्री मुखराम जाति जाट निवासी वार्ड सं0 10 संगरिया तहसील संगरिया।
2. भूपसिंह पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. कलावती पुत्री श्री हरीराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. इन्द्रा पुत्री श्री हरीराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. रेणू पत्री श्री भूपसिंह जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. रिकूं पुत्री श्री भूपसिंह जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री कैलाश कुमार सिंवल — वकील वादी
2— श्री बलवन्त सिंह झोरड़ — वकील प्रति सं. 1 ता 6

निर्णय दिनांक :—21.10.2019

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उक्त पक्षकारान का पंजिकृत पता व्यवहार प्रक्रिया के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो दावा के शीर्षक मे अकिंत है। प्रतिवादी सं01 वादी का दादा एवं प्रतिवादी सं0 2 वादी का पिता है प्रतिवादी स01 के नाम चक नं0 2 आर.टी.पी के खाता सं. 59 / 23 जमाबन्दी सम्वंत 2071—2074 में 3.106 हैक्टेयर व प्रतिवादी स0 2 के नाम से चक नं0 2 आर.टी.पी के खाता सं0 59 / 23 जमाबन्दी सम्वंत 2071—2074 में 3.106 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो प्रतिवादीगण एवं वादी की विरास्तन कृषिभूमि है। जमाबन्दी संल्गन वाद पत्र है। प्रतिवादी सं0 1 वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 व 6 का दादा है तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का पिता है। प्रतिवादी सं0 5 व 6 वादी की बहिन है। व प्रतिवादी सं0 3 व 4 वादी की भुआ है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 2 वादी का पिता है। यह कि प्रतिवादी सं01 व 2 के नाम से वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषिभूमि हमारी जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 2 ता 6 का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। वाद पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने घरा घरू बटवारा कर लिया है बटवारा में प्रतिवादी सं0 2 को वाद पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित कृषि भूमि में से 3.106 है0 कृषि भूमि प्राप्त हुई है। जिस पर प्रतिवादी सं0 2 काबिज है। वाद पत्र की चरण सं0 3 मे वर्णित प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 3.106 है0 कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। घरू बंटवारा में प्रतिवादी सं0 1 को चक 9 बीजीपी में 3 बीघा कृषि भूमि व संगरिया के वार्ड नं0 10 में स्थित प्लाट प्राप्त हुई है। वादी वाद पत्र की चरण सं0 3 में अंकित प्रतिवादी सं0 1 के नाम 3.106 हैक0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में कुलदीप सिंह का शपथ पत्र अ.आ.

18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यप्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने रोशनी पत्नी भूप सिह का सहमति का शपथ पत्र मय आई डी स्वहस्ताक्षरित सहित प्रस्तुत किया है। वारिसान तस्दीक के संबंध में वादी कुलदीप कुमार पुत्र श्री हरिराम ने अपना शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ विरास्तन साक्ष्य में जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम 2 आरटीपी के खाता संख्या 8/8 की प्रति पेश की है तथा चक 2 आरटीपी जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम 2 आरटीपी की जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 खाता संख्या 14/13 खाता पतराम वगेरा प्रदर्श–1 करवाई गई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक नं0 2 आर.टी.पी के खाता सं. 59/23 जमाबन्दी सम्वंत 2071–2074 में प्रतिवादी सं0 1 हरीराम के नाम 3.106 हैक0 कृषि भूमि दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम 2 आरटीपी के खाता संख्या 8/8 की चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत कुलदीप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। चक 2 आरटीपी जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम 2 आरटीपी की जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 खाता संख्या 14/13 खाता पतराम वगेरा प्रदर्श–1 करवाई गई एवं विरास्तन साक्ष्य में जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम 2 आरटीपी के खाता संख्या 8/8 की प्रति पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक नं0 2 आर.टी.पी के खाता सं. 59/23 जमाबन्दी सम्वंत 2071–2074 में प्रतिवादी सं0 1 हरीराम के नाम 3.106 हैक0 कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 हरीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 37/2019

1. कुलदीप पुत्र श्री भूपसिंह जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1 हरीराम पुत्र श्री मुखराम जाति जाट निवासी वार्ड सं0 10 संगरिया तहसील संगरिया।
2. भूपसिंह पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
3. कलावती पुत्री श्री हरीराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. इन्द्रा पुत्री श्री हरीराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. रेणू पत्री श्री भूपसिंह जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. रिकूं पुत्री श्री भूपसिंह जाति जाट निवासी ढाणी चक 2 आर.टी.पी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश कुमार सिंवल वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री बलवन्तसिह झोरड़ वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः– चक नं0 2 आर.टी.पी के खाता सं. 59/23 जमाबन्दी सम्वंत 2071–2074 में प्रतिवादी सं0 1 हरीराम के नाम 3.106 हैक0 कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 हरीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 21.10.2019 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.10.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 16:27:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: